

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1580| No. 1580| नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई ८, २०१३/आषाढ़ १७, १९३५

NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2013/ASHADHA 17, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2013

का.आ. 2073(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 11 के उप-विनियम (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की दिनांक 12-8-2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1989(अ) के अधिक्रमण में एतदद्वारा खान परीक्षण (कोयला) बोर्ड का पुनर्गठन करती है तथा निम्नित्यित व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रुप में तीन वर्षों की अवधि अथवा उनके उतराधिकारी की नियुक्ति तक जो भी बाद में हो, नियुक्त करती है, नामत::—

1. मुख्य खान निरीक्षक

अध्यक्ष

(खान सुरक्षा महानिदेशक के रुप में नामित होने की तिथि से - पदेन

2. प्रो. दुर्गा चरण पाणिग्रही,-

सदस्य

निदेशक, भारतीय खान विद्यालय, धनबाद (झारखंड) -826004

3. श्री नागेन्द्र कुमार,

सदस्य

निदेशक (तकनीकी), मै. कोल इंडिया लि., 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 (पश्चिम बंगाल)

3002 GI/2013

(1)

 श्री अमल कुमार देबनाथ,
 अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक,
 मैं. सैंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि. गोंडवाना प्लेस, कांके रोड,
 रांची (झारखंड) - 834031

श्री ओम प्रकाश,
निदेशक (तकनीकी),
मैसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स
नागपुर (महाराष्ट्र) - 440001

 श्री अशोक सरकार, निदेशक (तकनीकी), पी एंड पी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर, पोस्ट-बीसीसीएल टाउनशिप -826005 जिला - धनबाद (झारखंड) सदस्य

सदस्य

सदस्य

[सं. एस-66012/01/2007-आईएसच-॥] ए. सी. पाण्डेय, संयक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2013

S.O. 2073(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Regulations (1), (2) and (3) of Regulation 11 of the Coal Mines Regulations, 1957 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1989(E) dated 12.08.2010, the Central Government hereby re-constitutes the Board of Mining Examinations (Coal) and appoints the following persons as members of the Board for a period of three years or till their successor is appointed, whichever is later, namely:—

Chief Inspector of Mines
 (Since Designated as Director General of Mines Safety)
 -ex-officio

Chairman

 Prof. Durga Charan Panigrahi Director, Indian School of Mines, Dhanbad (Jharkhand)-826004. Member

3.	Shri Nagendra Kumar,	Member
	Director (Technical),	
	M/s Coal India Limited,	
	10 Netaji Subhas Road,	
	Kolkata-700001,	
	(West Bengal).	
4.	Shri Amal Kumar Debnath,	Member
	Chairman-cum-Managing Director,	
	M/s Central Mine Planning &	
	Design Institute Limited,	
	Gondwana Place, Kanke Road	
	Ranchi (Jharkhand)-834031.	
5.	Shri Om Prakash,	Member
	Director (Technical),	
	M/s Western Coalfields Limited,	
	Coal Estate, Civil Lines,	
	Nagpur(Maharashtra)-440001.	
6.	Shri Ashok Sarkar,	Member
	Director (Technical) P&P,	
	Bharat Coking Coal Limited,	
	Koyla Bhawan, Koyla Nagar,	
	P.O. BCCL Township -826005,	

District Dhanbad (Jharkhand).

[No. S-66012/01/2007-ISH-II] A. C. PANDEY, Jt. Secy.